संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/रा0ब0सहा0नि0/2014/210 भोपाल,दिनांक 24/06/2014

प्रति,

समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें,मध्यप्रदेश
समस्त, कलेक्टर, मध्य प्रदेश
समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश

विषयः—राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त जवाहर लाल नेहरू केंसर अस्पताल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत (केंसर रोग) उपचार करेन की स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भः—जवाहर लाल नेहरू केंसर अस्पताल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल का पत्र क्रमांक/372/147/173/2014 दिनांक 20/06/2014

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक—एफ 9—02/2014/सत्रह/मेडि—3 दिनांक 19.06.2014 द्वारा **जवाहर लाल नेहरू केंसर अस्पताल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल** को शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के उपचार (केंसर रोग) हेतु मान्यता वृद्धि की गई है।

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के नियम क्रमांक 02 के खण्ड "घ" के अंतर्गत उक्त मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्था को मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत (केंसर रोग) उपचार करने की स्वीकृति दी जाती है।

मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि के अन्तर्गत चिकित्सा सहासता राशि स्वीकृति के दौरान निम्न निर्देशों का कडाई से पालन किया जावें :—

1. पात्र हितग्राहियों को ही चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृत की जावें एवं योजनान्तर्गत सभी निर्धारित नियमों/प्रावधानों का पालन किया जावें।
2. चिकित्सा संस्थाओं का उपचार प्राक्कलन निर्धारित बीमारी के पेकेज की सीमा का हो। यदि प्राक्कलन पैकेज से अधिक हो तो संबंधित संस्था से उसका स्पष्टीकरण लिया जावे। पैकेज से अधिक राशि की मांग करने वाली संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने हेतु संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें को प्रस्ताव भेजे जावें।
3. **प्रत्येक चिकित्सा सहासता राशि की स्वीकृति आदेशों में यह उल्लेख किया जावे कि "रोगी के उपचार उपरान्त चिकित्सा संस्था को, सहायता राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, शेष राशी एवं रोगी का डिस्चार्ज टिकिट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को 15 दिवस में अनिवाय्र रूप से भेजे तथा जो रोगी 3 माह तक उपचार कराने नही आता है, उसकी चौथे माह में राशी संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को वापस भेजी जावें"।**

संचालक (रा0बी0सहा0नि0)
o/c संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं म.प्र.

पृ.क्र. 4/रा0ब0सहा0नि0/2014/211 भोपाल,दिनांक 24/06/2014

प्रतिलिपिः— सुचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. निज सहायक,स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. समस्त, संभागीय आयुक्त (राजस्व), मध्यप्रदेश।
4. समस्त, अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविघालय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
6. संचालक, जवाहर लाल नेहरू केंसर अस्पताल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल।

संचालक (रा0बी0सहा0नि0)
o/c संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं म.प्र.